पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी – बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009 फोन 07752–240712, 240752

www.pssou.ac.in E-mail-registar@pssou.ac.in

क्रं./95 /शिक्षा/2023 बिलासपुर,दिनांकः13/07 /2023

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि

विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय डी.एल.एड. दूरवर्ती पाठ्यक्रम के सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया निम्नांकित है :–

- प्रावीण्यता सूची का प्रकाशन – **28 जुलाई 2023**
- दावा आपत्ति (प्रावीण्य सूची पर) दावा आपत्ति प्रस्तुतीकरण की तिथि – **28 से 31 जुलाई 2023 (रात्रि 12 बजे तक)**

  दावा आपत्ति Email- pssouonline@gmail.com के माध्यम से आवेदन निर्धारित माध्यम (ऑनआईन) तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किए जाएगें।
- दावा आपत्ति निराकरण पश्चात् अध्ययन केन्द्र आबंटन सूची – **07 अगस्त 2023**
- प्रवेश प्रारंभ – 16 अगस्त 2023 से 05 सितम्बर 2023 (संभावित) (शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर)
- सीट रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय सूवी का प्रकाशन – 08 सितम्बर 2023 (संभावित)
- द्वितीय सूवी का प्रवेश – **12 सितम्बर 2023 (संभावित) से आरंभ**

  (शासकीय घोषित अवकाश दिवसों में सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया नहीं होगी।)

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. कॉउन्सलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने हेतु अभ्यर्थी को समस्त वांछित प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेज की मूल तथा छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. कॉउन्सलिंग के द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया की तथा वांछित दस्तावेजों की जानकारी के लिए संलग्न पृष्ठों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा तद्नुसार तैयारी के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होवें।
3. प्रवेश से सम्बन्धित नियम/निर्देश, ऑनलाइन आवेदन हेतु संलग्न विवरणिका को ध्यान से पढ़ें साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.pssou.ac.in या www.pssou.net/portal/ पर लाग इन करें। उपरोक्त तिथि संभावित है उसमें परिवर्तन संभव है।
4. उपरोक्त उल्लेखित तिथियो में परिवर्तन सम्भव है। निश्चित तिथि एवं जानकारी के लिए विश्वविद्यालय वेबसाइट का सतत् अवलोकन करते रहें।

डी.एल.एड. प्रवेशः प्रावीण्य सूची हेतु नियम :–

1. डी.एल.एड. के प्रवेश में न्यूनतम अहर्ता एन.सी.टी.ई. के मानक अनुसार 12वीं के आधार पर प्रावीण्य सूची का निर्माण किया जाएगा।
2. डी.एल.एड. प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की स्थिति में उनके 10वीं के अंक को प्रावीण्य सूची का आधार बनाया जाएगा।
3. 10वीं में भी समान अंक होने पर जिसका शिक्षण अनुभव अधिक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

आदेशानुसार

विभागाध्यक्ष

पृ.क्रं. /96/ शिक्षा / 2023 बिलासपुर,दिनांक: 13/07/2023

प्रतिलिपिः–

1 कुलपति जी को सूचनार्थ।
2 वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3 प्रभारी परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
4 प्रभारी क्षेत्रिय समन्वयक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
5 प्रभारी..विभाग को सूचनार्थ।
6 संपादक दैनिक..को अधिसूचना, अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के सभी संस्करणों में समाचारवृत के रुप में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7 वेबसेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करे।
8 कार्यालय प्रति

विभागाध्यक्ष
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
वि.वि. छत्तीसगढ़, बिलासपुर

डी.एल.एड. प्रवेश हेतु सामान्य जानकारियाँ

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के द्वारा संचालित द्विवर्षीय डी.एल.एड. दूरवर्ती कार्यक्रम हेतु डी.एल.एड प्रवेश आवेदन फार्म प्रक्रिया से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते निम्नांकित हैं–

1. प्रवेश हेतु आवेदन –

डी.एल.एड. हेतु आवेदन एवं कॉऊसलिंग रू. 1000.00 (रूपये एक हजार मात्र) के शुल्क के साथ ऑनलाइन भरें जायेंगे। ऑनलाइन फार्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रवेश आवेदन एवं कॉऊसलिंग हेतु केवल ऑनलाइन फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे।

2. पात्रता –

2.1 डी.एल.एड. कार्यक्रम हेतु पात्रता –

एन.सी.टी.ई. के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे–

2.1.1 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा–वर्ग/विकलांग की स्थिति में कम से कम 45 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। एवं सभी महिला अभ्यार्थी को 12 वी मे कम से कम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य हैं।

2..2 साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो (अभ्यार्थी के प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा)। साथ ही अभ्यर्थी को सतत् वर्तमान में अध्यापन कार्यरत् होना आवश्यक है। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जायेगा तथा कोई शुल्क वापस नही किया जायेगा।

2.1.3 यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय एवं कार्यक्रम में प्रवेश पश्चात् अध्ययनरत् रहते समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत् होना अनिवार्य है।

2.1.4 अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा–वर्ग/ विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंको में छूट तथा सीट आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।

- ✓ परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेंवे कि डी.एल.एड. कार्यक्रम हेतु पात्र है। डी.एल.एड. प्रवेश आवेदन के साथ किसी भी प्रकार की प्रमाण–पत्र, छाया–प्रति एवं मूल प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करना है। प्रवेश प्रक्रिया के समय सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होगें। सत्यापन के समय यदि प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है तो गलत जानकारी देने के कारण उसे प्रवेश से वंचित किया जायेगा। प्रवेश के पश्चात् यदि कोई प्रमाण–पत्र गलत पाया जायेगा तो उसे निरस्त किया जायेगा तथा कोई भी शुल्क वापस नही किया जायेगा।
- ✓ अतः अभ्यर्थी अपनी समपूर्ण जानकारी आवेदन पत्र में चाही गयी अनुसार सत्य एवं स्पष्ट तौर पर भरें, चूकि आपके आवेदन पर आपके द्वारा दी गयी जानकारी को सत्य एवं अंतिम मानते हुये आगे की प्रक्रिया की जायेगी बाद में उस पर किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नही होगा।

3. कार्यक्रम में प्रवेश

3.1 डी.एल.एड. की 2400 सीटों पर प्रवेश के लिए पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय प्राविण्य सूची निर्माण करेगा। प्रवेश नियमों के आधार पर इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय, नियमानुसार रेंकिंग (Ranking) सूची घोषित करेगा और केवल इसी सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। प्राविण्य सूची की सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी की जायेगी अतः अभ्यर्थी लगातार विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें।

4. प्रवेश हेतु अध्ययन केन्द्र प्रमाण पत्र सत्यापन केन्द्र

क्र.	अध्ययन केन्द्र का नाम	कोड
1.	विश्वविद्यालय मुख्यालय. बिलासपुर	01
2.	शा. बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर	02
3.	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर	03
4.	कमला नेहरू महाविद्यालय, कोरबा	04
5.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पेण्ड्रा	05
6.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोरबा	06
7.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जॉजगीर	07
8.	पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय नैला जांजगीर	08
9.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कवर्धा	09
10.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	10
11.	विकास शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	11
12.	महात्मा गांधी महाविघालय, रायपुर	12
13.	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, भिलाई	13
14.	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी भिलाई	14
15.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगरी	15
16.	रॉयल कालेज, राजनांदगांव	16
17.	शा. बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान डोंगरगांव	17
18.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खैरागढ़	18
19.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर	19
20.	संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय अम्बिकापुर	20
21.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अम्बिकापुर	21
22.	होलीक्रास बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान, पत्थलगांव	22
23.	श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	23
24.	समाधान महाविद्यालय, बेमतरा	24
25.	उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान, बिलासपुर	25
26.	शा. बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर यूनिट–2	26
27.	जे.व्ही.जी. कॉलेज, रायगढ़	27

उक्त अध्ययन केन्द्रो की संख्या में परिवर्तन सम्भव है।

महत्वपूर्ण सूचना –

✓ अध्ययन केन्द्र आबंटन/परिर्वतन का सर्वाधिकार वि.वि. के पास सुरक्षित रहेगा ।

5. कार्यक्रम शुल्क

5.1 डी.एल.एड.

डी.एल.एड. दूरवर्ती कार्यक्रम के शुल्क निम्नांकित हैं–

प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	**10,000.00**
द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	**10,000.00**

- उपरोक्त वर्णित शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय तथा द्वितीय वर्ष में प्रवेश के समय देय होगें। शुल्क में बदलाव की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना ही मान्य होगी।
- उपरोक्त शुल्क पाठ्यक्रम प्रशिक्षण एवं पाठ्यसामाग्री हेतु निर्धारित है तथा अन्य दत्तकार्यो हेतु आवश्यक सामग्रीयों की व्यवस्था विद्यार्थियो को स्वयं करना होगा।

6. कार्यक्रम अवधि

डी.एल.एड. कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि दो वर्ष तथा अधिकतम अवधि चार वर्ष की होगी अर्थात् प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने के चार वर्ष के अंदर पाठय्क्रम पूर्ण करना होगा ।

7. पुनः पंजीयन

निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की स्थिति में छात्र विश्वविद्यालय के नियमानुसार पुनः पंजीयन के पात्र होंगे।

8. आरक्षण

डी.एल.एड. प्रवेश हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रसारित लागू नियमानुसार होगा।

9. डी.एल.एड. प्रवेश प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण निर्देश –

9.1 प्रवेश हेतु आवेदक अपनी पात्रता सम्बन्धी जाँच स्वतः कर अर्हता का निर्धारण करें। मात्र ऑन–लाइन आवेदन करने से छात्र के प्रवेश की पात्रता का निर्धारण नहीं होगा। प्रावीण्य सूची में उनके द्वारा प्रस्तुत शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल प्रवजन प्रमाण पत्र, उपयुक्त जाति प्रमाण पत्रों को सत्यापन करा कर काऊंसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने पर ही संभव होगा। प्रवेश से संबंधित किसी भी विवाद में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

नोट – विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच स्वतः करे अथवा अन्य एजेंसियों से करवाए। शिक्षण अनुभव में अथवा अन्य किसी प्रमाण प्रत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जावेगा तथा छात्र द्वारा जमा कोई शुल्क वापस नही किया जावेगा।

9.2 किसी भी परिस्थिति में प्रवेश प्रक्रिया शुल्क वापस नहीं होगा।

9.3 प्रवेश की प्राविण्य सूची वेबसाइट (**www.pssou.ac.in**) पर ही निर्धारित तिथि को घोषित किया जायेगा।

9.4 डी.एल.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम एवं निर्देशानुसार आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा।कुल 2400 सीटों में सभी वर्ग–अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग–महिला, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होगें।

9.5 अभ्यार्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. श्रेणी – छत्तीसगढ़ प्रवेश नियम एवं डी.एड./डी.एल.एड. प्रवेश नियम के आधार पर श्रेणी से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) ।

11. संवर्ग – छत्तीसगढ़ डी.एल.एड. प्रवेश नियम के आधार पर संवर्ग से तात्पर्य है, महिला, निः शक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिक। संवर्ग में आरक्षण व्यापम के मानकों के अनुसार मान्य होगा।

12 डी.एल.एड. पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण – छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम के आधार पर डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणीयाँ होंगी तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगें।

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी आरक्षण निम्नानुसार होगा–

(एक) अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत।

(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) के लिए 14 प्रतिशत।

<u>स्पष्टीकरण</u> – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणीयों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समय–समय पर जारी निदेशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग आरक्षण का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम एवं निर्देशानुसार निर्धारित रहेगा। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निदेशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संवर्ग के लिए 3 % इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निदेशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 % इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(चार) महिला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत। (जो कि हर वर्ग की चयन सूची में समाहित होगा)

13. प्रावीण्य सूची – पृष्ठ क्रमांक 01 को देखें।

14 चांस/प्रतिक्षा से तात्पर्य है – उन अभ्यार्थियों से है जो कि जब मैरिट में चयनित छात्र किसी कारण से प्रवेश नहीं ले पाते हैं या उनका प्रवेश नही हो पाता है तब उनके रिक्त स्थान पर मैरिट में चयनित अभ्यार्थियों के क्रम से नीचे के क्रम अनुसार अभ्यार्थियों का चयन किया जाता है। यदि स्थान रिक्त नही हो तो चांस हेतु पंजीकृत अभ्यार्थियों का चयन (प्रवेश) नहीं होगा। स्थान रिक्त रहने तक ही चांस हेतु अभ्यार्थियों का चयन मैरिट क्रम से होगा।

15. जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अंतिम परीक्षा छ.ग. राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को आव्रजन शुल्क (Immigeration Fees) एवं पात्रता प्रमाण पत्र हेतु रू.1100/– (ग्यारह सौ रुपये) का जमा करना होगा। (ऐसे अभ्यार्थियों का प्रवेश वि.वि. द्वारा पात्रता प्रदान करने तक पूर्णतः अस्थायी रहेगा। अतः ऐसे अभ्यार्थियों प्रवेश के एक माह के अंदर वि.वि. से अपना पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रुप से प्राप्त कर लेवें)

16. आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश – आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपल्बध न होने की दशा में इन वर्गो के लिए आरक्षित सीटों को क्रमबद्ध रूप से उसी आरक्षित सीटों में परिवर्तित किया जायेगा। रिक्त सीटों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर दिया जायेगा।

17. आरक्षित वर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में निम्नानुसार क्रमबद्ध रूप से आरक्षित सीटों को परिवर्तित कर प्रवेश दिया जावेगा – किसी भी आरक्षित वर्ग में पर्याप्त अभ्यर्थी न होने के दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा।

(क) अनुसूचित जाति वर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस वर्ग के लिए आरक्षित सीटे अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों से भरी जाएगीं।

(ख) अनुसूचित जनजाति वर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यार्थियों से भरी जाएगीं।

(ग) अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) वर्ग के अभ्यार्थियों से भरी जाएगीं।

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्गों के पर्याप्त अभ्यार्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस वर्ग के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों से और बाद में भी सीटें रिक्त रहने पर अनूसूचित जाति वर्ग के अभ्यार्थियों से भरी जाएगीं।

(ड) सभी वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटे अनारक्षित की जायेगी।

18. काउंसिलिंग के आधार पर चयनित छात्रों के लिए डी.एल.एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण हेतु 10 दिवसीय सम्पर्क कक्षा में भाग लेना अनिवार्य है। प्रति वर्ष की सम्पर्क कक्षाओं/कार्यशालाओं में छात्र की उपस्थिति डी.एल.एड. हेतु 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है अन्यथा छात्र सत्रांत परीक्षा में बैठने की पात्रता खो देंगे।

19. काऊंसिलिंग में चयनित छात्रों को संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश पश्चात् अध्ययन–सामग्री दी जाती है। छात्र अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के पश्चात उसका गहन अध्ययन करें तथा सम्पर्क कक्षा में उपस्थिति प्रतिशत सुनिश्चित करें।

20. प्रत्येक सैद्धांतिक विषय से सम्बंधित अधिकतम 30 अंकों की सत्रीय कार्य प्रवेशित अध्ययन केन्द्रों में जमा ली जायेगी जिसमें निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा छात्र उस विषय की सत्रांत परीक्षा मे अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। सत्रीय परीक्षा कार्य जमा करने की तिथि विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.pssou.ac.in) पर दर्शित कियें जावेंगे। सत्रीय अभ्यर्थी विश्वविद्यालय से प्राप्त अध्ययन सामग्री की सहायता पूर्ण कर सकेगें।

प्रारुप क्रमांक 03 (न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र)

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव प्रमाण–पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक ....

विद्यालय का नाम ....

विद्यालय का पता ....

विद्यालय का दूरभाष क्रं ....

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक – ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु. .... पिता/पति .... इस विद्यालय में ....पद पर दिनांक .... से .... तक कार्य किया है।

सील

हस्ताक्षर

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक

नाम –..

नोट :– उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट–छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्त किया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसलिंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो।

अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रुप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारुप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की कांट–छांट न करें।
2. दो अलग–अलग शाला में अध्यापनरत रहें शिक्षकों को दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता हो एवं दूसरा जो की वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शाला में अध्यापनरत होना दर्शाता हों। 2 वर्ष का अनुभव 31 जुलाई–2023 तक में पूर्ण होना चाहिये एवं निरंतर कार्यरत होना चाहिए।

प्रारुप क्रमांक 04 (वर्तमान में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण–पत्र)

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक ....

विद्यालय का नाम ....

विद्यालय का पता ....

विद्यालय का दूरभाष क्रं ....

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक – ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु. .... पिता/पति .... इस विद्यालय में ....पद पर दिनांक ....से निरंतर वर्तमान मे कार्यरत है।

सील

हस्ताक्षर

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक

नाम –...

नोट :– उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की कॉंट–छॉंट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्त किया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसलिंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो।

अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रुप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारुप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की कांट–छांट न करें।
2. दो अलग–अलग शाला में अध्यापनरत रहें शिक्षकों को दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता हो एवं दूसरा जो की वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शाला में अध्यापनरत होना दर्शाता हों। 2 वर्ष का अनुभव 31 जूलाई–2023 तक में पूर्ण होना चाहिये एवं निरंतर कार्यरत होना चाहिए।

आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केन्द्र परिवर्तन हेतु प्रावधान

1. आपसी सहमति के आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के एक सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किये जायेगें। एक सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
2. अध्ययन केन्द्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जायेगा। आवेदन में दोनों आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेगें।
3. अध्ययन केन्द्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा। इसके लिए अन्य कोई विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रारुप क्रमांक 04 आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केन्द्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र का प्रारुप

आवेदक क्रमांक 1 का विवरण

नाम — ....

वर्तमान अध्ययन केन्द्र — ....

आवेदन क्रमांक —

वांछित अध्ययन केन्द्र — ....

मोबाइल नम्बर — ....

आवेदक क्रमांक 2 का विवरण

नाम — ....

वर्तमान अध्ययन केन्द्र — ....

आवेदन क्रमांक —

वांछित अध्ययन केन्द्र — ....

मोबाइल नम्बर — ....

उपरोक्त स्थानतरण हेतु हमारी आपसी सहमति है

हस्ताक्षर
आवेदक क्रमांक 1
दिनांक

हस्ताक्षर
आवेदक क्रमांक 2
दिनांक

कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदकों द्वारा मांगा गया संशोधन मान्य किया जाता है / अमान्य किया जाता है।

हस्ताक्षर
विभागाध्यक्ष

दिनांकः

बी.एड./ डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

प्रारुप क्रमांक 05 शपथ पत्र का प्रारुप

(10/– रु. के स्टाम्प में नोटरी कराकर ही शपथ पत्र देवें)

मैं ....

पिता/पति ....

प्रवेश परीक्षा अनुक्रमांक .... यह घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी, संलंग्न प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति सत्य व सही है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत अथवा झूठी पाई जाती है तो उसके परिणाम स्वरुप मुझे यह स्वीकार होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे प्रवेश एवं उपरोक्त पाठ्यक्रम की उपाधि को किसी भी समय निरस्त करने एवं मेरे विरुद्व किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक –   अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान –